

[2023] 2 एस. सी. आर 59

भारत संघ

बनाम्

संजीव चतुर्वेदी

दीवानी अपील संख्या- 1587/2023

03 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, न्यायाधीशगण]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985-ओ. ए. का हस्तांतरण-प्रतिवादी सं.1-मूल रिट याचिकाकर्ता ने नैनीताल सर्किट पीठ, कैट के समक्ष मूल आवेदन (ओ. ए.) दायर किया- भारत संघ ने नैनीताल सर्किट पीठ से ओ. ए. को प्रधान पीठ, नई दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर किया-न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, प्रधान बेंच, नई दिल्ली के एक आदेश द्वारा इसे प्रधान बेंच, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया-इसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश को रद्द कर दिया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: अध्यक्ष, कैट, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश की चुनौती पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे से जुड़े मामले में एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी सं.1 और भारत संघ और इस न्यायालय द्वारा एल. चंद्र कुमार और अलपन बंदोपाध्याय में पारित निर्णयों और आदेशों को पढ़ने के बाद। शामिल मुद्दा उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) को लागू करने के प्रभाव और संविधान के अनुच्छेद 226 (2) को पेश करते समय कानून मंत्री के संदर्भित बयान के संबंध में है और कि इसमें शामिल मुद्दा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करता है और सार्वजनिक महत्व का है, यह उचित होगा कि अध्यक्ष, कैट, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए संबंधित उच्च

न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे से जुड़े मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। [कंडिका 6] [71-सी-ई]

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261: [1997] 2 एस. सी. आर. 1186; कुसुम इंगोर्ट्स और मिश्र धातु लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक अन्य (2004) 6 एससीसी 254: [2004] 1 पूरक. एससीआर 841; अल्केमिस्ट लिमिटेड और एक अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम और अन्य। (2007) 11 एससीसी 335: [2007] 4 एस. सी. आर. 46; भारत संघ बनाम अलापन बंद्योपाध्याय (2022) 3 एस. सी. सी. 133 - संदर्भित।

वाद विधि संदर्भ

[1997] 2 एससीआर 1186	को कंडिका 3.5 से	संदर्भित किया गया है
[2004] 1 पूरक।एससीआर 841	को कंडिका 4 से	संदर्भित किया गया है
[2007] 4 एससीआर 46	को कंडिका 5.5 से	संदर्भित किया गया है

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार:

दीवानी अपील संख्या 1587/2023

डब्ल्यू. पी. एस. बी. सं. 407/2020 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 23.10.2021 के निर्णय और आदेश से।

अरविंद कुमार शर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

तुषार मेहता, एस. जी. आई., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मयूरी रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, आदिथ देशमुख, सुश्री पूर्वात गोयल, सुश्री मयूरी रघुवंशी, रजत नायर, कानू अग्रवाल, अदित खुराना, सुश्री आकंशा कौल, अनुकल्प जैन, मानेक सिंह, अमन साहनी, गुरमीत सिंह मक्कर, हृषिकेश बरुआ, सुश्री राधिका गुप्ता, हिमांशु शेखर, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया ।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. डब्ल्यू. पी. एस. बी. सं. 407/2020 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और दिनांक 23.10.2021 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी. ए. टी.), प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 04.12.2020 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण की विद्वान प्रधान पीठ ने मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन (ओ. ए.) संख्या 331/109/2020 को इलाहाबाद पीठ (नैनीताल सर्किट पीठ) से प्रधान पीठ, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया है, भारत संघ ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. संक्षेप में वर्तमान अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 कि यहाँ पर मूल रिट याचिकाकर्ता ने नैनीताल सर्किट पीठ, कैट के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ मूल आवेदन (ओ. ए.) दायर किया:

"क. केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के पैनल में शामिल करने के लिए उपयोग की जा रही 360 डिग्री मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली को रद्द करने के लिए अभिलेख की मांग करना और उचित निर्देश/आदेश जारी करना, जो मनमाना, अनुचित, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, वैधानिक नियमों का अतिक्रमण और संसदीय समिति की प्रतिवेदन का निष्कर्ष है।

ख. उत्तरदाताओं को भविष्य में अनुबंध प्रणाली के माध्यम से संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष और केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के पदों को भरने से रोकना।

ग. वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी योजना के उन सभी प्रावधानों को खारिज करना, जो सरकार में संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल में शामिल करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ पैनल द्वारा गठित और मूल्यांकन को नियंत्रित करते हैं, ओ. एम. 36/77/94-ई. ओ. केंद्रीय (एस. एम.-1) की तारीख 05.01.1996 के माध्यम से जारी किया गया और बाद में संशोधित किया गया, जो मनमाना, अनुचित, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और संविधान में निहित बुनियादी संघीय संरचना का उल्लंघन है।

घ. उत्तरदाताओं को अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के सूची में शामिल होने और समान स्तरों के बीच उत्पन्न भारी कृत्रिम समय अंतराल को दूर करने का निर्देश देना।

ङ. उत्तरदाताओं को संयुक्त सचिव के स्तर पर सूची में शामिल करने के लिए आवेदक के मामले पर विचार करने का निर्देश देना ताकि सेवा के अपेक्षित वर्षों को पूरा करने और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 में पदोन्नति के संबंध में सभी पात्रता मानदंडों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए; या वैकल्पिक रूप से, उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करें कि वे आवेदक के उपरोक्त मामले को किसी भी गलत/व्यक्तिपरक/तिरछे विचार पर अस्वीकार न करें, और योग्यता, तथ्यों और केवल कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से निर्णय लें।

च. भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए आदेश देना और उचित जांच करना। तथ्यात्मक मैट्रिक्स के कंडिका 3.5 में सामने लाई गई अनियमितताओं को देखते हुए वर्ष 2019 में अनुबंध प्रणाली के माध्यम से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई।”

3.2 इसके बाद, भारत संघ ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (अधिनियम, 1985) की धारा 25 के तहत स्थानांतरण आवेदन दायर किया, जिसमें रिट याचिकाकर्ता द्वारा नैनीताल सर्किट पीठ से प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर ओ. ए. को

स्थानांतरित करने की मांग की गई। यह देखते हुए कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 04.12.2020 के आदेश द्वारा उक्त ओ. ए. को प्रधान पीठ, नई दिल्ली को स्थानांतरित करने का आदेश दिया:-

"ओ. ए. में प्रार्थना के अवलोकन से पता चलता है कि संयुक्त सचिव के पद के लिए पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया पर ही हमला किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों का केंद्र सरकार के कामकाज पर अपना प्रभाव पड़ता है। यह महसूस किया जाता है कि ओ. ए. प्रधान पीठ द्वारा सुने जाने का हकदार है। चूंकि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई पूर्वाग्रह नहीं हो रहा है, पी. टी. में प्रतिवादी, यानी ओ. ए. में भी आवेदक के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।"

3.3 नैनीताल सर्किट पीठ से ओ.ए. संख्या- 331/109 2020 को प्रधान पीठ, नई दिल्ली में स्थानांतरित करने के दिनांकित 04.12.2020 आदेश को मूल रिट याचिकाकर्ता-मूल आवेदक द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि संयुक्त सचिव के पद के लिए भर्ती चयन प्रक्रिया को ओ. ए. में चुनौती दी गई थी। वे इस तथ्य से भी व्यथित थे कि हालांकि अखिल भारतीय सेवाओं के भीतर संयुक्त सचिव के पद के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध थे, केंद्र सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि संयुक्त सचिव के पद को तीन से पांच साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त करके भरा जाएगा और उक्त नीतिगत निर्णय अखिल भारतीय सेवाओं में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। मूल रिट याचिकाकर्ता-मूल आवेदक की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जिस आधार पर भारत संघ ने ओ. ए. के हस्तांतरण की मांग की थी कि चूंकि मूल रिट याचिकाकर्ता ने एक नीतिगत निर्णय को चुनौती दी है और चूंकि नीतिगत निर्णय का "राष्ट्रव्यापी परिणाम" है, इसलिए ओ. ए. प्रधान पीठ, नई दिल्ली को स्थानांतरित किए जाने के योग्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि संसद की राय थी कि "राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे" में केवल प्रधान पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में एक प्रावधान मौजूद होता, जो कैट की अन्य पीठों को "राष्ट्रीय महत्व" या "राष्ट्रव्यापी प्रभाव" वाले मुद्दों की

सुनवाई से रोकता है। पीठ ने कहा, "हालांकि, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, जो कैट की अन्य पीठों, जिन्हें प्रधान पीठ के बराबर माना जाता है, को केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय की सुनवाई या जांच करने से रोकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम, 1985 की धारा 5 के तहत गठित सभी पीठों के पास समान अधिकार क्षेत्र होगा।

3.4 भारत संघ की ओर से याचिका का विरोध किया गया था। भारत संघ ने रिट याचिका पर विचार करने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी। भारत संघ की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि सभी संबंधित संचिकायें और कागजात नई दिल्ली में हैं, इसलिए मामले को नई दिल्ली स्थानांतरित किया जाना चाहिए। भारत संघ की ओर से यह भी मामला था कि चूंकि उत्तराखंड में कार्रवाई का कोई कारण सामने नहीं आया था, इसलिए नैनीताल सर्किट पीठ के पास याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि नीति नई दिल्ली में बनाई गई थी, नई दिल्ली में चयन के लिए नाम आमंत्रित किए गए थे, चयन प्रक्रिया नई दिल्ली में शुरू होती है और समाप्त होती है, इसलिए केवल नई दिल्ली की प्रधान पीठ के पास ओ. ए. की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि संबंधित फाइलें नई दिल्ली में पड़ी हैं और चूंकि संबंधित गवाह नई दिल्ली में उपलब्ध होंगे, इसलिए मामले को नैनीताल सर्किट बेंच के समक्ष लंबित रखने के बजाय मामले को प्रधान बेंच को स्थानांतरित करना न्याय के हित में होगा। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय के संबंध में निर्णय के राष्ट्रव्यापी परिणाम होंगे, इसलिए नीतिगत निर्णय की वैधता तय करने के लिए केवल प्रधान पीठ ही उपयुक्त पीठ होगी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि अध्यक्ष ने अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नैनीताल सर्किट बेंच से ओ. ए. को प्रधान बेंच में स्थानांतरित कर दिया है। प्रत्युत्तर में, कार्रवाई के कारण के संबंध में मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला था कि उत्तराखंड में कार्रवाई का आंशिक कारण सामने आया है क्योंकि संयुक्त सचिव के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों के नाम राज्यों से बुलाए जाते हैं; इस प्रकार, राज्यों द्वारा नामों की सिफारिश की जाती है; योग्य उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख राज्य के पास होते हैं और सेवा अभिलेख राज्य द्वारा अग्रेषित किए जाते हैं। इसके अलावा, अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिवों की नियुक्ति का निर्णय संयुक्त सचिव के पद के लिए उनके विचार के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, इसलिए इसका प्रभाव नीतिगत निर्णय उत्तराखंड राज्य

में उसके अधिकार से वंचित करता है और इसलिए, उत्तराखंड राज्य में कार्रवाई का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ है और इसलिए, नैनीताल सर्किट बेंच के पास ओ. ए. की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है।

3.5 कि उसके बाद, अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद और एल चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एस.एस.सी. 261 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने के बाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष द्वारा पारित दिनांक 04.12.2020 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक नीतिगत निर्णय को अनिवार्य रूप से प्रधान पीठ के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए और अधिनियम, 1985 के तहत कोई प्रावधान नहीं है कि एक नीतिगत निर्णय को चुनौती देने वाली सुनवाई केवल प्रधान पीठ द्वारा की जा सकती है।

3.6 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, भारत संघ ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

4. भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान महाप्रतिवक्ता श्री तुषार मेहता ने जोरदार ढंग से कहा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कोई कारण सामने नहीं आया है, इसलिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पास अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ भारत संघ बनाम अलपन बंदोपाध्याय (2002) 3 एस.सी.सी. 133 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है।

4.1 अलपन बंदोपाध्याय (ऊपर) के मामले में एल. चंद्र कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए और उसका पालन करते हुए, यह विशेष रूप से देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "संविधान के अनुच्छेद 323ए और अनुच्छेद 323बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक

खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है।"यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष एक पहचान का प्रश्न उत्पन्न होता है। कि इस न्यायालय के समक्ष अलापन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) के मामले में कलकत्ता में उच्च न्यायालय ने ओ. ए. और इसकी संचिकाओं को कलकत्ता पीठ से प्रधान पीठ (नई दिल्ली) को स्थानांतरित करने के प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। कि यह देखा और आयोजित किया जाता है इस न्यायालय द्वारा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव था। विद्वान प्रतिवक्ता श्री तुषार मेहता ने कंडिका 15 से 17 पर बहुत अधिक भरोसा किया।

4.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करना श्री तुषार मेहता, विद्वान प्रतिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

4.3 विद्वान प्रतिवक्ता श्री तुषार मेहता ने अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत प्रदत्त अध्यक्ष की शक्तियों के गुण-दोष पर भी विस्तृत दलीलें दी हैं।

5. श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए हैं। भारत संघ की ओर से की गई दलीलों पर कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पास नैनीताल सर्किट पीठ से प्रधान पीठ, नई दिल्ली को ओ. ए. स्थानांतरित करने के अध्यक्ष, कैट के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के तहत कोई भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, बशर्ते कि कार्रवाई का एक आंशिक कारण उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो, भले ही आदेश पारित करने वाला प्राधिकरण या सरकार उक्त उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित न हो। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एल. चंद्र कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देते हुए, जिसके अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण आता है, अनुच्छेद 226 (2) के तहत अन्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, यदि अन्यथा उपलब्ध हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय का निर्णय उस उच्च न्यायालय को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है जिसके अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्णय को अनुच्छेद 226 (2) के दायरे को संकुचित करने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, इस हद तक अल्पन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।

5.2 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने आगे कहा कि संवैधानिक योजना के तहत अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत उपाय नागरिकों के लिए उपलब्ध अत्यंत मूल्यवान उपाय हैं। जहाँ वे रहते हैं या व्यवसाय करते हैं या तैनात हैं। इस योजना के लिए नागरिकों को निवारण के लिए विशेष रूप से दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, अनुच्छेद 226 के तहत उपचार को सीमित करना संविधान की भावना के विपरीत है, न्याय तक पहुंच की भावना और सिद्धांत के विपरीत है और संविधान की मूल संरचना के विपरीत है जो पूरे देश में न्यायिक समीक्षा को सक्षम बनाता है न कि एक केंद्रित स्थान पर।

5.3 इसने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को न्यायिक आदेश के माध्यम से अन्य उच्च न्यायालयों से अधिकारिता नहीं छीननी चाहिए जो अन्यथा अनुच्छेद 226 (2) के तहत उक्त उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र में स्थित न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने के लिए सशक्त हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इस तरह की व्याख्या को इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई और असुविधा होगी जो देश भर में तैनात हैं।

5.4 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में कानून के विकास के बारे में बताया है, जिसमें संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण और संशोधन पेश करते समय तत्कालीन कानून मंत्री की टिप्पणियां शामिल हैं।

5. 5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुसुम इंगोर्ट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक अन्य (2004) 6 एस. सी. सी. 254 के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में, जो अनुच्छेद 226 (2) के लागू होने के बाद था, ने कहा और अभिनिर्धारित किया है कि यदि कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा प्राधिकरण के स्थान/निवास की परवाह किए बिना उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है तो उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र होगा।

5. 6 यह प्रस्तुत किया गया है कि यह न्यायालय अल्केमिस्ट लिमिटेड और एक अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम और अन्य (2007) 11 एस. सी. सी. 335 के मामले में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में कानून के विकास को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "संवैधानिक प्रावधानों का विधायी इतिहास, इसलिए, यह स्पष्ट करता है कि 1963 के बाद, कार्रवाई का कारण प्रासंगिक और स्पष्ट है और एक रिट याचिका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर एक उच्च न्यायालय में स्थापित की जा सकती है जिसमें पूरी या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है।

5.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) के मामले में कि न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होगा जिनके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है, वह अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण नहीं है, जिनके पास विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के तहत अधिकार क्षेत्र हो सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, अलपन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।

5.8 अपने उपरोक्त अनुरोध के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:-

- (i) आलापन बंदोपाध्याय (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित एक आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर ओ. ए. को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता पीठ से नई दिल्ली में प्रधान पीठ में स्थानांतरित कर

दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए रद्द कर दिया गया।

(ii) कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को भारत संघ द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ द्वारा स्थानांतरण आवेदन में पारित आदेश के खिलाफ चुनौती केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य थी क्योंकि न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है।

(iii) यह माननीय न्यायालय, अनुच्छेद 99 का उल्लेख करते हुए एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में निर्णय में कहा गया कि कोई भी न्यायाधिकरण के निर्णय की जांच केवल उस उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है। नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिकार क्षेत्र दिल्ली उच्च न्यायालय के पास है क्योंकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है।

5.9 यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद आलापन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) में इस माननीय न्यायालय का पुनरुत्पादन यहाँ नीचे किया गया है।:

“36. एल. चंद्र कुमार मामला [एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एस.एस.सी. 261, 1997 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 577] के मामले में अपनाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया। अधिनियम की धारा 28 और अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी विधानों में "अपवर्जन क्षेत्राधिकार" खंडों को इस हद तक असंवैधानिक ठहराया कि वे अनुच्छेद 323-ए के खंड 2 (डी) और अनुच्छेद 323-बी के खंड 3 (डी) को उसी हद तक असंवैधानिक ठहराने के अलावा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालयों की क्षेत्राधिकार को बाहर करते हैं।

37. इसके अलावा, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था: (एल. चंद्र कुमार मामला [एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1997) 3 एससीसी 261:1997 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 577], एस. सी. सी. पी.311, कंडिका 99) "99. उच्च न्यायालयों और

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र हमारे संविधान की अलंघनीय मूल संरचना का एक हिस्सा है। जबकि इस अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है, अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323-ए और अनुच्छेद 323-बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के पास वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है। इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय तथापि, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है।

(जोर दिया गया)

38. जब एक बार इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कानून घोषित किया कि "संविधान के अनुच्छेद 323-ए और अनुच्छेद 323-बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है", तो उक्त मुद्दे पर आगे कोई निर्माण करने की अनुमति नहीं है। संविधान पीठ द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय" अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण की एक पीठ से न्यायाधिकरण की दूसरी पीठ में मूल आवेदनों के हस्तांतरण के मामले में आवेदनों पर या अन्यथा पारित अपने व्यापक आदेशों को शामिल करेगी और उसके भीतर ले जाएगी।

39. दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित निर्णय सहित ऐसे न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय के अधीन हो सकता है। केवल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है। अधिनियम की धारा 25 के आह्वान में न्यायाधिकरण की एक पीठ से दूसरी पीठ में मूल आवेदन के हस्तांतरण के आदेश के खिलाफ चुनौती लाने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय का निर्णय लेते समय कानून के इस स्पष्ट स्पष्टीकरण का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

40. इस प्रकार संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून पर कम गणपूर्ति वाली पीठ द्वारा या उस मामले के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा तथ्यों के समूह को देखकर यह पता लगाने के लिए पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है कि क्या वे संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के दायरे में उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करेंगे। हमारा विचार है कि जब अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित निर्णय पर सवाल उठाया जाना है, विशेष रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले कई पक्षों से जुड़े मामलों में, विशेष रूप से नई दिल्ली में प्रधान पीठ में अध्यक्ष द्वारा पारित एक सामान्य आदेश से व्यथित होने के बावजूद, एक अन्य दृष्टिकोण रखने से निस्संदेह अधिकार क्षेत्र के प्रश्रुत अनिश्चितता और बहुलता आएगी

5.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) की संविधान पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ए (2 डी), अनुच्छेद 323-बी (3 डी) और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रही थी, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता शामिल नहीं थी। अंतिम निष्कर्ष एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) के कंडिका 90 में संविधान पीठ द्वारा निकाला गया। यह था कि:

- (ए) अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत गारंटीकृत न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे संविधान की अलंघनीय बुनियादी संरचना का हिस्सा है।
- (बी) चुनौती के तहत प्रावधानों को इस हद तक असंवैधानिक घोषित किया गया था कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 और 32 के तहत क्रमशः उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करते हैं।
- (सी) तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सभी सेवा मामले पहली बार में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास जाने चाहिए और न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने पर वही हो सकता है - बशर्ते कि उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत एक चुनौती के अधीन, जिसके अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण आता है।

5.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एल. चंद्र कुमार (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि केवल उच्च न्यायालय जिसके क्षेत्रीय

अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायाधिकरण आता है, को उक्त न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार होगा।

5.12 अलापन बंदोपाध्याय (उपर्युक्त) में निर्णय का प्रभाव यह है कि केवल उच्च न्यायालय, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण आता है, को उक्त न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार होगा।

5.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित कानून के विकास से संबंधित धारा से स्पष्ट है, अनुच्छेद 226 के तहत खंड (2) जोड़ने के पीछे के इरादे और उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा यदि एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) के कंडिका 99 की व्याख्या इस तरह से की जाती है।

5.14 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है और यहां तक कि एक संवैधानिक संशोधन भी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति को बाहर नहीं कर सकता है और इस शक्ति को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है।

5.15 यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय को न्यायिक आदेश के माध्यम से अन्य उच्च न्यायालयों से अधिकारिता नहीं छीननी चाहिए जो अन्यथा अनुच्छेद 226 (2) के तहत उक्त उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता से परे क्षेत्र में स्थित न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने के लिए सशक्त हैं।

5.16 यह प्रस्तुत किया गया है कि संवैधानिक योजना के तहत, सभी पच्चीस उच्च न्यायालयों के पास समान अधिकार क्षेत्र है, और किसी विशेष उच्च न्यायालय के लिए कोई भेदभाव या विशेष व्यवहार की परिकल्पना नहीं की गई है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक पहलू है।

5.17 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इस तरह की व्याख्या को इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई और असुविधा होगी जो देश भर में तैनात हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक पीड़ित कर्मचारी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एनांकुलम पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर

किया जाना था, और इसे दूसरे पीठ में स्थानांतरित करने का आदेश पीठ को दिल्ली में प्रधान पीठ द्वारा पारित किया जाना था, पीड़ितों को स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने और मामले को लड़ने के लिए एर्नाकुलम से दिल्ली तक यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। जैसा कि पहले ही ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है, यह पीड़ित व्यक्ति के दरवाजे पर एक सस्ता, प्रभावी और प्रभावी कानूनी उपचार प्रदान करने के विशिष्ट इरादे के साथ संविधान में अनुच्छेद 226 (2) को शामिल करने के उद्देश्य को विफल कर देगा।

5.18 इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि इस माननीय न्यायालय का निर्णय अलापन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऊपर की गई प्रस्तुतियों के आलोक में पुनर्विचार किया गया।

6. प्रतिवादी संख्या- 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे और विद्वान महाप्रतिवक्ता श्री तुषार मेहता द्वारा की गई दलीलों के संबंध में और एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) और अलापन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) में पारित निर्णयों और आदेशों को पढ़ने के बाद यह कि इसमें शामिल मुद्दा उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) को लागू करने के प्रभाव और ऊपर निर्दिष्ट संविधान के अनुच्छेद 226 (2) को पेश करते समय कानून मंत्री के बयान के संबंध में है और यह कि शामिल मुद्दा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करता है और सार्वजनिक महत्व का है, हम यह उचित समझते हैं कि अध्यक्ष, कैट, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे से जुड़े मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। रजिस्ट्री मामले को जल्द से जल्द उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे ताकि उपरोक्त मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जा सके।

अंकित ज्ञान

मामला बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।

(अभिषेक अग्निहोत्री, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)